

विद्युत उपभोक्ताओं हेतु आवश्यक सूचना

उपभोक्ता की विद्युत बिल अथवा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी किसी भी शिकायत का यदि उपखण्ड कार्यालय अथवा अधिशासी अभियन्ता कार्यालय द्वारा कोई संतोषजनक समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता इसके सम्बन्ध में प्रत्येक मंडल/कमिश्नरी स्तर पर गठित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम जिसके कार्यालय में परिवादों की सुनवाई की जाती है, में 50 रुपये का पोस्टल आर्डर के साथ प्रार्थना पत्र जमा कराकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है उपभोक्ता व्यथा निवारण के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में उपभोक्ता अपनी शिकायत पुनः विद्युत लोकपाल, नेडा बिल्डिंग, तीसरे तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय में दर्ज करा सकता है। प्रत्येक मंडल/कमिश्नरी के उपभोक्ता निवारण फोरम का पता निम्नानुसार है।

क्र० स०	मंडल का नाम	उपभोक्ता व्यथा निवारण का पता
1.	मेरठ	अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम 42, आर्य नगर, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ।
2.	सहारनपुर	अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम बजोरिया इण्टर कॉलेज के पास, चकरौता रोड सहारनपुर।
3.	मुरादाबाद	अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम 220 केवी विद्युत उपकेन्द्र हाईडिल कालोंनी, दिल्ली रोड मुरादाबाद।